nwda.gov.in

'कृषि में पानी के उपयोग पर नए सिरे से निगाह डालने की जरूरत'

मनीष तिवारी • नई दिल्ली

- जलशक्ति मंत्रालय में बनी विशेषज्ञों की समिति ने राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता प्राधिकरण बनाने का दिया सुझाव
- कहा, इसके पास होनी चाहिए कानूनी शक्ति ताकि पानी के उपयोग के तौर-तरीकों पर रखी जा सके निगाह

पानी के सही उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए बने विशेषज्ञों के समूह ने केंद्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था के गठन का सुझाव दिया है जो पूरे देश में पानी के उपयोग के तौर-तरीकों पर निगाह रखे और सुधार के उपाय बताए। समूह की सिफारिश है कि इस राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता प्राधिकरण को कानूनी शक्ति भी मिलनी चाहिए और यह कार्य पानी को लेकर मौजूदा कानूनों के जरिये ही किया जा सकता है।

समिति ने मंत्रालय को जल उपयोग की दक्षता 50 प्रतिशत या उससे अधिक करने के लिए चार साल का एक रोडमैप भी बताया है।

जलशक्ति मंत्रालय के तहत ब्यूरो आफ वाटर यूज एफिशिएंसी ने इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट के भारतीय प्रतिनिधि आलोक सिक्का की अध्यक्षता में गत वर्ष एक समिति का गठन किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश में पानी के सार्थक उपयोग की दक्षता 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के उपाय बताने के लिए कहा गया था। समिति को छह माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एक विस्तार के बाद उसने पिछले माह मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं।

समिति ने पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले कृषि क्षेत्र में सिंचाई के तौर-तरीकों में बुनियादी बदलाव के कदम उठाने के लिए कहा है, ताकि उपलब्ध पानी के अधिक इस्तेमाल की ओर बढ़ा जा सके। इसके लिए उन देशों का उदाहरण दिया गया है, जहां कृषि में अधिकतम 25 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत में यह 70 से 80 प्रतिशत है।

समिति ने सिंचाई की योजनाओं की समीक्षा और मोर क्राप पर ड्राप के माडल पर चलने के लिए कहा है। मंत्रालय ने इस मसले पर फिर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इसके तहत विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया, जिसमें कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा पानी से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियों और कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई।